£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ

´ÉÉÉhÉVªÉ A´É =tÉÉMÉ àÉjÉÉãÉªÉ +ÉiÉÉ®ÉÉBÉÉiÉ |É¶xÉ ºÉ. 966

ÉnxÉÉBÉÉ 29 जुलाई, 2015 BÉÉÉ =kÉ® ÉnA VÉÉxÉ BÉÉ ÉãÉA

Hkkjr dh tfVy vk;kr 0;oLFkk

966- Jh glu nyob%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djx fd%

¼d½ D;k fo'o 0;kikj lxBu d ,d gky d ifronu d vulkj Hkkjr dh vk;kr 0;oLFkk vHkh Hkh cgr tfVy cuh gb g(

¼[k½ ;fn gk] rk rRlc/kh C;kjk D;k g vkj bl ij Hkkjr dh D;k ifrfØ;k g(

¼x½ D;k ljdkj Hkkjr d fgrk dh j{kk gr ,d jk"Vh; ckf)d lEifÙk vf/kdkj uhfr ?kkf"kr dju dk fopkj j[krh g(vkj

¼?k½ ;fn gk] rk bl lc/k e vc rd D;k ixfr gb g\

=kÉ®

Okkf.kT; ,o m|kx jkT; e=h ¼Lor= iHkkj½

¼ Jherh fueyk lhrkje.k½

(क) और (ख) जून 2015 में आयोजित भारत की व्यापार नीति समीक्षा (टी पी आर) के भाग के रूप में तैयार की गई विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि भारत की आयात व्यवस्था जटिल है। तथापि, इन अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में, टीपीआर में सूचित किया गया था कि केंद्रीय और राज्य के मूल्य वर्धित करों और वस्तुओं के घरेलू उत्पादन, खपत और बिक्री के अंतर्गत उद्ग्राह्य अन्य

करों को संतुलित करने के लिए कर अधिरोपित किए जाते हैं। ये न केवल डब्ल्यूटीओ के अनुकूल हैं अपितु अधिकांश सदस्य देशों में आम तौर पर अपनाए जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि इन अंतरों को अपेक्षाकृत अधिक सरलीकृत वस्तु एवं सेवा करों (जीएसटी) की शुरुआत के साथ और भी निष्प्रभावी किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि भारत का आयात लाइसेंसिंग तंत्र मुक्त और पारदर्शी है तथा मुख्य रूप से केवल कुछ ही प्रतिबंधित मदों को मानव, पशु और पादप जीवन एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने की जरूरत के आधार पर प्रभावित करता है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा गठित बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी प्रबुद्ध मंडल ने अप्रैल 2015 में प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसकी इस समय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जॉंच की जा रही है।

****